संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र./9/नर्सिंग/सेल 1/2019/ दिनांक /03/2019

आदेश

सुश्री शक्ति मेढ़े डी.पी.एच.एन.ओ. बैतूल के द्वारा याचिका क्रमाक 28313/2018 माननीय न्यायालय जबलपुर में दायर की है, जिसमें (1) अपर संचालक नर्सिंग (2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल को प्रतिवादी बनाया गया है। तथा प्रशासकीय आधार पर जिला बैतूल से जिला हरदा में किये गये स्थानान्तरण के संबंध में निराकरण चाहा गया है।

2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमाक 28313/2018 में पारित आदेश दिनॉक 21.01.2019 की सूचना तथा अभिप्रमाणित प्रति (सर्टिफाईड कॉपी) दिनॉक 15 फरवरी 2019 को प्राप्त हुई है।
3. सुश्री शक्ति मेढ़े डी.पी.एच.एन.ओ. बैतूल के द्वारा याचिका क्रमाक 28313/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 21.01.2019 लेख है कि :–

This petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the petitioner's dated 20-11-2018 (Annexure-P/3) in accordance with law expeditiously preferably within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order and outcome of the same be communicated to the petitioner within the same period.

4. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमाक 28313/2018 में पारित आदेश दिनॉक 21.01.2019 में उल्लखित सुश्री शक्ति मेढ़े के अभ्यावेदन दिनॉक 20.11.2018 जो कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में 25.01.2019 को प्राप्त हुआ है का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पूर्व में प्रचलित परिचर्या भर्ती नियम 1989 में जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (डी.पी.एच.एन.ओ.) के 82 पद स्वीकृत थे। तदसमय 1 जिले में 1 से अधिक डी.पी.एच.एन.ओ. के पद स्वीकृत होने से, जिलों में 1 से अधिक डी.पी.एच.एन.ओ. पदस्थ थी। अगस्त 2016 (संलग्न–1) में शासन से नर्सिंग संवर्ग की पुर्नसंरचना उपरान्त डी.पी.एच.एन.ओ. के प्रत्येक जिले में 01 पद के मान से पदों की स्वीकृति की गई तथा 2 पद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक संचालक नर्सिंग के रूप में रखे गये, जिसका प्रकाशन परिचर्या भर्ती नियम 27 जून 2017 में किया गया है, फलस्वरूप जिलों में पूर्व में 1 से अधिक स्वीकृत पदों को समाप्त कर दिया गया। भर्ती नियम प्रकाशन दिनांक से 53 पद शेष रहे।

(ii) विभाग के अधीन पूर्व से जिलों में एक से अधिक डी.पी.एच.एन.ओ. पदस्थ होने से अतिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे अतिशेष में पदस्थ डी.पी.एच.एन.ओं. का वेतन आहरण करने में कठिनाई होने के कारण जिन जिलों में एक से अधिक डी.पी. एच.एन.ओ. पदस्थ थीं उनको युक्तीकरण के द्वारा अन्य जिलों में डी.पी.एच.एन.ओ. के रिक्त पद पर पदस्थ किये जाने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में दिनॉक 10.04. 2018 को डी.पी.एच.एन.ओ. की काउंसलिंग की गई जिसमें ऐसे जिलों की

डी.पी.एच.एन.ओ. जहाँ अतिशेष की स्थिति थी, उन्हे अन्यत्र जिलें में पदस्थ करने हेतु विकल्प लिया गया।

(iii) विकल्प के अनुसार अतिशेष में पदस्थ समस्त डी.पी.एच.एन.ओ. का युक्तीयुक्तकरण कर अन्य जिलों में पदस्थ किया गया । तदसमय श्रीमति शक्ति मेढ़े के द्वारा हरदा जिले का विकल्प दिया गया था फलस्वरूप विकल्प अनुसार उनका स्थानान्तरण जिला हरदा किया गया है (संलग्न–1)।

(iv) स्थानांतरण आदेश से स्पष्ट है कि युक्तियुक्तकरण के द्वारा केवल याचिका कर्ता का ही नहीं, अन्य डी.पी.एच.एन.ओ. का भी स्थानांतरण किया गया है।

(v) विभाग के पास समुचित अधिकार है कि पदों की स्वीकृति एवं प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अपने अधीन पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरण कर सकता है।

बिन्दु क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि जिलों में पदस्थ डी.पी.एच.एन.ओ. की अतिशेष की स्थिति उत्पन्न होने से वेतन आहरण में वैद्यानिक कठिनाई होने के कारण डी.पी.एच.एन.ओ. जो अतिशेष में जिलों में पदस्थ थी का विकल्प प्राप्त कर युक्तियुक्तकरण कर स्थानान्तरण संचालनालय के आदेश क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल 1/2018/785 दिनॉक 05.10.2018 (संलग्न–2) के द्वारा अन्य जिलों में रिक्त पद पर किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विचार उपरान्त सुश्री शक्ति मेढ़े डी.पी.एच.एन.ओ. बैतूल का अभ्यावेदन दिनॉक 20.11.2018 जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में 25 जनवरी 2019 में प्राप्त हुआ है का परीक्षण उपरान्त अमान्य किया जाता है।

/

(रूही खान)
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

पृ.क./9/नर्सिंग/सेल 1/2019/334 दिनांक 5/03/2019

प्रतिलिपि –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
2. संचालक (लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक (लीगल) स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर म.प्र. की ओर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल/हरदा/जबलपुर म.प्र.
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड किये जाने की कार्यवाही करें।
7. सुश्री शक्ति मेढ़े डी.पी.एच.एन.ओ. बैतूल।
8. आदेश नस्ती।

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

D:\Cell _1_Data\cort case\leagel.docx